(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

अपील प्रकरण क्रमांक 688/पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.12.2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 461/अपील/2010-11.

माहेश्वरी समाज राणापुर
जिला झाबुआ
द्वारा सचिव-ललित कुमार पिता मोतीलाल राठी
निवासी राणापुर, जिला झाबुआ, म.प्र. .....अपीलार्थी

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, झाबुआ
जिला झाबुआ, म.प्र. .....प्रत्यर्थी

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री विवेक मिश्रा, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/9/18 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 30.12.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सचिव, माहेश्वरी समाज राणापुर, जिला झाबुआ द्वारा कलेक्टर, जिला झाबुआ के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि नगर राणापुर वार्ड क्रमांक 13 पर स्थित गोपाल मंदिर माहेश्वरी समाज का निजी मंदिर है और इस मंदिर के रख-रखाव आदि सभी कार्य माहेश्वरी समाज द्वारा किया जाता है। उक्त मंदिर की पृथक से कोई कृषि भूमि या अन्य कोई सम्पत्ति नहीं है। मंदिर की देख-रेख एवं उसके सभी खर्च समाज

द्वारा ही स्टेट समय से करते चले आ रहे हैं। माहेश्वरी समाज के उक्त मंदिर का इन्द्राज वर्ष 1937-38 से नगर पालिका, राणापुर के सम्पत्ति रजिस्टर में माहेश्वरी समाज गोपाल मंदिर के नाम से इन्द्राज है। वर्ष 1973-74 की ग्राम राणापुर की खसरा व खाता प्रतिलिपि में सर्वे क्रमांक 610 रकबा 7.50 बीघा अर्थात् 1.214 हैक्टेयर भूमि पर माफी देवस्थान गोपाल मंदिर, राणापुर त्रुटिवश दर्ज कर दिया गया है। प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी के कॉलम में माफी देवस्थान गोपाल मंदिर त्रुटिवश इन्द्राज पटवारी राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई है। नगर राणापुर के वार्ड क्रमांक 12 पर स्थित माहेश्वरी समाज का मंदिर "गोपाल मंदिर" निजी समाज का मंदिर है, जिसके नाम से कोई कृषि भूमि नहीं होते हुए भी समाज के इस मंदिर से लगे राधाकृष्ण मंदिर जिसके नाम से कृषि भूमि है और यह मंदिर शासकीय है और जिसका संरक्षक शासन ही है और इसका जीर्णोद्धार शासन द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से किया गया है। अतः माहेश्वरी समाज के गोपाल मंदिर के नाम से वर्ष 1973-74 में त्रुटिवश पटवारी द्वारा किये गये इन्द्राज को अभिलेखों में दुरूस्त कर दर्ज करवाने के आदेश प्रदान किये जाये। इस आवेदन पत्र के आधार पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/अ-121/10-11 दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा प्रकरण में तहसीलदार, राणापुर से आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जांच कर संहिता में निहित प्रावधान एवं सिविल न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करते हुए 15 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। जांच प्रतिवेदन तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होने पर प्रकरण में दिनांक 06.01.2011 को आदेश पारित किया गया। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30.12.2013 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अपर आयुक्त द्वारा बिना किसी वैधानिक प्रमाण के अपीलार्थी समाज के मंदिर का स्वत्व राजस्व विभाग में होना अभिलेख से स्पष्ट होने बाबद् जो निष्कर्ष दिया है, वह अभिलेख के विपरीत होने के कारण तथा परव्हर्स होने के कारण अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश इसी आधार पर निरस्ती योग्य हैं।

(2) अधीनस्थ कलेक्टर द्वारा अपने निर्णय में बिना किसी आधार के अथवा प्रमाण के "आवेदित भूमि एवं मंदिर एक-दूसरे के परिपूरक" होने संबंधी जो निष्कर्ष दिया है, वह

किसी भी साक्ष्य पर आधारित न होने से प्रश्नाधीन आदेश निरस्ती योग्य होते हुए भी अपीलार्थी की अपील निरस्त करने में गंभीर वैधानिक भूल हुई है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सन् 1929-30 के जिल्द बंदोबस्त व अभिलेख प्रस्तुत किये गये थे, उनका भी सही तौर पर विश्लेषण नहीं किया गया अर्थात् अभिलेख को नजरअंदाज करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी के एक वर्ष 2007 व दूसरा वर्ष 2010 के जो प्रतिवेदन थे, उन प्रतिवेदन में यह स्पष्ट लिखा है कि मंदिर में कोई नेमणुक का भुगतान नहीं होता है, किसी पुजारी की नियुक्ति नहीं होती है, जबकि राधाकृष्ण मंदिर के लिए नियुक्ति शासन के द्वारा की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी समाज के मंदिर को शासकीय मानने में अथवा अभिलेख में दर्ज करने का जो आदेश पारित किया है, वह अपास्त किये जाने योग्य होते हुए भी उसे यथावत् रखने में अपर आयुक्त ने गंभीर वैधानिक भूल की है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में अपील का उल्लेख किया है। उक्त अपील राजेन्द्र पिता मांगीलाल ब्राहमण ने शासकीय मंदिर के संबंध में प्रस्तुत की थी। ऐसी स्थिति में जिस प्रकरण में अपीलार्थी पक्षकार रहा ही नहीं, उसका कोई निष्कर्ष अपीलार्थी पर बंधनकारक नहीं है और उसे आधारित कर आलोच्य आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है।

अतः उनके द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर द्वारा विधिवत जांच उपरांत आदेश पारित किया है और कलेक्टर के विधिसंगत आदेश की पुष्टि अपर द्वारा की गई है । इस आधार पर कहा गया कि कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस अपील में नहीं है । उनके द्वारा अपील निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से विधिवत जांच कराई गई है, जिसमें प्रश्नाधीन मंदिर 1929 की मिसल बंदोबस्त जो कि प्रकरण का महत्वपूर्ण अभिलेख है, में स्पष्ट रूप से माफी देव स्थान के रूप में दर्ज होने से प्रश्नाधीन मंदिर

शासकीय होना पाया गया है । प्रश्नाधीन मंदिर के संबंध में व्यवहार वाद भी प्रचलित हुआ था, जिसमें व्यवहार न्यायालय का निर्णय पारित होकर शासकीय मंदिर माना गया है । उपरोक्त स्थिति में कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है और कलेक्टर के विधिवत आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा की गई है, जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है । इस प्रकार कलेकटर एवं अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं । इस संबंध में 1998 आर.एन. 319 भवानी विरूद्ध लेखराज तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 44 (2)-तथ्यों के निष्कर्ष दो न्यायालयों द्वारा एक ही-कोई विपर्यास दर्शित नहीं-द्वितीय अपील में हस्तक्षेप अनुज्ञेय नहीं ।"

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2013 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती हे ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर